

an>

Title: Issue regarding illegal slaughter house along embankments of river Tamsa in Mau district in Uttar Pradesh.

श्री हरिनारायण राजभर (घोसी) : माननीय सभापति, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जनपद मऊ में नगर की सुरक्षा के लिए वर्ष 1980 में सुरक्षा तटबंध का निर्माण किया गया जिसका उद्देश्य तमसा नदी की बाढ़ से नगर की रक्षा करना था। नगर के डेकुलिया घाट से शुरू हुआ ये बंधा लगभग 4 किलोमीटर भूदेसरा मुहल्ले तक जाता है। इस तटबंध पर तमसा नदी के किनारे नगर पालिका परिषद् मऊ के द्वारा पिछले पांच सालों के किनारे बूढ़खाना का अवैध निर्माण करवाया गया जबकि किसी भी नदी के किनारे इस प्रकार की पशु वधशाला की व्यवस्था नहीं है। हमारे जनपद की पौराणिक नदी तमसा आगे चलकर जनपद बलिया में पतिव पावनी मां गंगा में मिल जाती है। इस पशु वधशाला में नगर पालिका परिषद् और जिला प्रशासन की मिलीभगत से बिना लाइसेंस के प्रतिदिन सैंकड़ों महीसवंशी, पशुओं को काटकर उनका मांस ट्रकों एवं अन्य साधनों से अन्यत् प्रदेशों और देशों में भेजा जाता है।